प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्र. 1360 वर्ष 2005

याचिकाकर्ता	:	राजकुमार कुर्रे
		विरुद्ध
उत्तरवादीगण	:	छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

निर्णय एवं आदेश सुनाए जाने हेतु निर्धारित की तिथि 17 जुलाई, 2012

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायमूर्ति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्र. 1360 वर्ष 2005

याचिकाकर्ता	:	राजकुमार कुर्रे
		विरुद्ध
उत्तरवादीगण	:	छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत रिट याचिका

एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित: श्री पल्लव मिश्रा, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता

श्री पी.के. भादुरी, राज्य की ओर से पैनल अधिवक्ता।

श्री रविंद्र अग्रवाल, उत्तरवादी क्रमांक 4 की ओर से अधिवक्ता।

श्री वी.के. पाण्डेय उत्तरवादी क्रमांक 6 और 7 की ओर से अधिवक्ता।

आदेश

(17 जुलाई, 2012 को पारित)

1. इस याचिका में दिनांक 18.05.2005 के आदेश (अनुलग्नक - A/8) को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा पंचायत निदेशक द्वारा दिनांक 29.11.2004 को पारित आदेश (अनुलग्नक - A/5) को स्थिर रखा गया था, जिसमें याचिकाकर्ता को पंचायत सचिव के पद से हटाया गया था, और दिनांक 13.02.2005 के आदेश (अनुलग्नक A/7) को भी चुनौती दी गई है, जिसके

अंतर्गत ग्राम पंचायत मरकाडीह, जनपद पंचायत, नवागढ़, जिला जांजगीर के प्रस्ताव के आधार पर याचिकाकर्ता की पंचायत कर्मी के पद से सेवा समाप्त कर दी गई थी।

2. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरपंच और याचिकाकर्ता, जो उस समय पंचायत कर्मी (सचिव) थे, के विरुद्ध 26.06.2004 को विभिन्न आरोपों के साथ शिकायत दर्ज की गई थी। इस पर जनपद पंचायत, जांजगीर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जांच कराई और दिनांक 09.07.2005 को अपनी रिपोर्ट (अनुलग्नक P/1) प्रस्तुत की। इसके बाद नायब तहसीलदार ने पुनः जांच कराई और दिनांक 29.09.2004 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर उप निदेशक पंचायत एवं समाज कल्याण ने दिनांक 05.11.2004 को कारण बताओ नोटिस (अनुलग्नक A/3) जारी किया कि क्यों उनकी सेवा समाप्त नहीं की जा सकती। याचिकाकर्ता ने उक्त कारण बताओ नोटिस का उत्तर 22.11.2004 को दिया (अनुलग्नक A/4)। इसके बाद, उप निदेशक ने याचिकाकर्ता की पंचायत सचिव के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना को रद्द करते हुए अंतिम आदेश पारित किया और दिनांक 29.11.2004 के आदेश (अनुलग्नक A/5) द्वारा उन्हें सेवा से हटा दिया । इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने पंचायत निदेशक के समक्ष एक अपील प्रस्तुत किया। पंचायत निदेशक ने दिनांक 21.12.2004 को स्थगन आदेश (अनुलग्नक A/6) जारी किया । हालांकि, बाद में स्थगन आदेश रद्द कर दिया गया। इसी बीच, ग्राम पंचायत ने एक प्रस्ताव पारित किया और याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना, दिनांक 13.02.2005 के आदेश (अनुलग्नक A/7) द्वारा याचिकाकर्ता को पंचायत कर्मी के पद से भी हटा दिया, जिसे दिनांक 08.08.2010 को संशोधित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता की अपील भी दिनांक 18.03.2005 को खारिज कर दी गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मिश्रा ने निवेदन किया कि सेवा समाप्ति का आदेश नायब तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आधारित था, बिना सोचे-समझे, क्योंकि लाभार्थियों के बयान अभिलिखित नहीं किए गए और न ही उनके हस्ताक्षर सत्यापित किए गए। इसके अलावा, सरपंच के विरुद्ध लगाए गए केवल उन्हीं आरोपों के आधार पर वसूली का आदेश दिया गया, जबकि याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त कर दिया गया है।

4. इसके विपरीत, राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 1, 2, 3 और 5 की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री बहादुर ने बताया कि शिकायत प्राप्त होने पर उत्तरवादी क्रमांक 4 द्वारा एक जांच की गई जिसमें पाया गया कि याचिकाकर्ता ने स्कूली बच्चों को दोपहर का भोजन प्रदान नहीं किया था और उत्तरवादी क्रमांक 5 ने भी अपनी जांच रिपोर्ट में उसे आरोपों का दोषी पाया। याचिकाकर्ता को पंचायत उप निदेशक द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी कर सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया गया था, जिसका याचिकाकर्ता ने प्रत्युत्तर भी प्रस्तुत किया। इस प्रत्युत्तर पर विचार करने के पश्चात, आक्षेपित कार्रवाई की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. उत्तरवादी क्रमांक 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अग्रवाल और उत्तरवादी क्रमांक 6, 7 और 8 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पाण्डेय, राज्य/ उत्तरवादी क्रमांक 1, 2, 3 और 5 के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क का समर्थन करते हैं। श्री पाण्डेय आगे यह तर्क देते हैं कि उत्तरवादी क्रमांक 8 की नियुक्ति को नियुक्ति की तिथि से लगभग 3 वर्ष बीत जाने के बाद संशोधन के माध्यम से चुनौती नहीं दी जा सकती। अतः, इस याचिका को खारिज किया जाना चाहिए।

6. मैंने दोनों पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना, और उनके द्वारा प्रस्तुत तर्क और उनसे जुड़े दस्तावेजों का परिशीलन किया।

7. ऐसा प्रतीत होता है कि दिनांक 29.05.2004 को व्यक्तियों की उपस्थिति में मौके पर निरीक्षण किया गया था (अनुलग्नक R/1)। इसके बाद, दिनांक 05.11.2004 को कारण

बताओ नोटिस (अनुलग्नक A/3) जारी किया गया जिसमें 7 दिनों के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने को कहा गया था। ग्राम पंचायत ने दिनांक 13.02.2005 को (अनुलग्नक A/7) याचिकाकर्ता को पंचायत कर्मी (सचिव) के पद से दिनांक 13.02.2005 से हटाने का संकल्प लिया और उसके बाद, विवादित आदेश दिनांक 13.02.2005 (अनुलग्नक A/7) को पारित किया गया। यह ऐसा प्रकरण नहीं है उत्तरवादीगण द्वारा विवादित आदेश पारित करने से पहले छत्तीसगढ़ पंचायत (अनुशासन और अपील) नियम, 1999 (संक्षेप में, 'नियम, 1999') के नियम 7 के तहत परिकल्पित कोई जांच की गई थी।

8. पंचायत कर्मी (सचिव) के पद से हटाने के संबंध में उप निदेशक, पंचायत द्वारा दिनांक 05.11.2004 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब दिनांक 22.11.2004 को प्रस्तुत किया गया था और उसके बाद, विवादित आदेश दिनांक 29.11.2004 (अनुलग्नक A/5) को पारित किया गया था । अधिकारियों ने पूर्व में इस तथ्य पर विचार किया है कि चूंकि याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था, इसलिए नियम 1999 के नियम 7 के तहत परिकल्पित आगे की जांच रोकना आवश्यक नहीं था। उत्तरवादी अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों में त्रुटि है क्योंकि नियम 1995 के नियम 7 में निर्धारित प्रक्रिया, जो अनिवार्य है, का पालन नहीं किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. यह स्पष्ट है कि विवादित सेवा समाप्ति आदेश, नियम 1999 के नियम 7, के अंतर्गत निर्धारित विधि की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना पारित किया गया था। गंभीर दंड अधिरोपित करने के लिए जांच प्रक्रिया नियम 1999, के नियम 7, के तहत निर्धारित है। अतः, वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन न करने और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करने के कारण सेवा समाप्ति गलत और दोषपूर्ण है। यह न केवल नियम 1999, के नियम 7, के उपबंधों का उल्लंघन है, बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2) के प्रावधानों का भी उल्लंघन है।

आक्षेपित आदेश वास्तव में दंडात्मक प्रकृति का है, जिसके दीवानी परिणाम होंगे और इस प्रकार, नियम 1999, के नियम 7, में निहित विस्तृत प्रावधानों का अनुपालन इस प्रकरण में अनिवार्य था। (*देखें: धलूराम कोसारिया विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य*[1] *तथा अंजोरदास विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य*[2])।

10. इसी न्यायालय की एक खंडपीठ ने *रूपलाल नायक विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य*[3] के प्रकरण में, समान तथ्यों और परिस्थितियों में, राजनांदगांव के कलेक्टर के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को पंचायत सचिव के पद से हटा दिया गया था। खंडपीठ ने यह वक्तव्य दिया कि नियम 1999 के नियम 7, के तहत परिकल्पित नियमित विभागीय जांच किए बिना पंचायत सेवा के किसी सदस्य पर ऐसा दंड नहीं लगाया जा सकता है।

11. प्रिवी काउंसिल ने *नज़िर अहमद विरुद्ध सम्राट*[4] के प्रकरण में निम्नलिखित अवधारित किया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "जो नियम लागू होता है वह एक भिन्न और उतना ही सुप्रसिद्ध नियम है, अर्थात्, जहाँ किसी को कोई कार्य किसी निश्चित तरीके से करने की शक्ति दी जाती है, तो वह कार्य उसी तरीके से किया जाना चाहिए, अन्यथा बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। निष्पा[1]दन के अन्य तरीके अनिवार्य रूप से निषिद्ध हैं।"

12. सर्वोच्च न्यायालय ने *हुकुम चंद श्याम लाल विरुद्ध भारत संघ और अन्य*[5] के प्रकरण में निम्नलिखित अवधारित किया:

> "18. यह सर्वविदित है कि जहाँ किसी शक्ति का प्रयोग किसी निश्चित प्राधिकारी द्वारा किसी निश्चित तरीके से किया जाना आवश्यक हो, वहाँ उसका प्रयोग उसी तरीके से किया जाना चाहिए, अन्यथा बिल्कुल नहीं, और अन्य सभी तरीके

---

[1] 2006 (2) CGLJ 186
[2] 2008 (III) MPJR-CG 110
[3] W.P. No. 1656/2004, Judgement Date 25.07.2006
[4] AIR 1936 Privy Council 253(2)
[5] (1976) 2 SCC 128

अनिवार्य रूप से निषिद्ध हैं। इस नियम का पालन करना और भी आवश्यक है जहाँ शक्ति कठोर प्रकृति की हो और निर्धारित तरीके के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से उसका प्रयोग करना प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन होगा।"

13. सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने *आयकर आयुक्त, मुंबई विरुद्ध अंजुम एम.एच. घसवाला और अन्य*[6] के प्रकरण में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:

"27....व्याख्या का एक सामान्य नियम यह है कि जब कोई विधि किसी प्राधिकारी को किसी विशेष तरीके से प्रयोग करने के लिए कोई शक्ति प्रदान करता है, तो उक्त प्राधिकारी को उस शक्ति का प्रयोग केवल विधि में ही निर्धारित तरीके से करना होता है...."

14. *कैप्टन सूबे सिंह और अन्य विरुद्ध दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और अन्य*[7] के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अवधारित किया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"29. *अंजुम एम.एच. घासवाला* के प्रकरण में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने इस सामान्य नियम की पुष्टि की कि जब कोई विधि किसी प्राधिकारी को कोई विशेष शक्ति प्रदान करता है जिसका प्रयोग किसी विशेष तरीके से किया जाना है, तो उक्त प्राधिकारी को उसका प्रयोग केवल विधि में निर्धारित तरीके से ही करना होता है। (इस संदर्भ में *धनजय रेड्डी विरुद्ध कर्नाटक राज्य* का प्रकरण भी देखें।) विचाराधीन विधि प्राधिकारी से अनुमति से जुड़ी शर्तों में परिवर्तन के लिए नियमों के अनुसार कार्य करने की अपेक्षा करता है। हमारे मतानुसार, राज्य सरकार के लिए इन शर्तों को धारा 67(1)(घ) सहपाठित उपखंड (1) के द्वारा अधिसूचना जारी करके बदलने का प्रयास करना अनुमति योग्य नहीं है।

15. *जम्मू और कश्मीर हाउसिंग बोर्ड और अन्य विरुद्ध कुंवर संजय कृष्ण कौल और अन्य*[8] के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने उपर्युक्त स्थापित स्थिति को दोहराया और निम्नलिखित अवधारित किया:

> "32. यह सुस्थापित विधि है कि जब कोई वैधानिक प्रावधान किसी विशेष कार्य को करने का कोई विशेष तरीका निर्धारित करता है, तो उक्त कार्य या क्रिया को अधिनियम में निर्धारित तरीके के अनुसार ही किया जाना चाहिए। केवल इस बात से कि संबंधित पक्ष अधिग्रहण कार्यवाही से अवगत थे या उन्हें व्यक्तिगत नोटिस दिए गए थे, स्थिति नहीं बदल जाती, जबकि विधि में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी प्रक्रियाओं/तरीकों का कड़ाई से पालन उसी प्रकार किया जाना चाहिए जैसा कि उसमें निर्धारित है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. सर्वोच्च न्यायालय की एक *संविधान* पीठ ने *दिल्ली परिवहन निगम विरुद्ध डी.टी.सी. मजदूर कांग्रेस और अन्य*[9] के प्रकरण में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को संक्षेप में इस प्रकार प्रतिपादित किया:

> [2]"202....यह सुस्थापित है कि 'ऑडी अल्टरम पार्टेम' (दूसरे पक्ष को भी सुनने का सिद्धांत) समानता को प्रवर्तित करता है का नियम, जो मूलतः संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता खंड को लागू करता है, न केवल अर्ध-न्यायिक आदेशों पर बल्कि संबंधित पक्ष को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले प्रशासनिक आदेशों पर भी लागू होता है, जब तक कि अधिनियम, विनियम या नियम द्वारा इस नियम के अनुप्रयोग को स्पष्ट रूप से वर्जित न किया गया हो, जो कि यहाँ लागू नहीं होता। प्राकृतिक न्याय के नियम, नियमों और विनियमों का स्थान नहीं लेते बल्कि उनका पूरक होते हैं। इसके अतिरिक्त, हमारे संविधान में व्याप्त विधि का शासन यह मंशा

[6](2002) 1 SCC 633
[7](2004) 6 SCC
[8](2011) 10 SCC 714
[9](1991) Sup.1 SCC 600

रखता है कि इसका पालन सार रूप में और प्रक्रियात्मक रूप से दोनों ही तरह से किया जाए। सभी पहलुओं से विचार करने पर, विनियम 9(ख) अवैध और शून्य है क्योंकि यह मनमाना, भेदभावपूर्ण है और शक्ति के प्रयोग के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं देता है। विधि का शासन यह कहता है कि शक्ति का प्रयोग न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित तरीके से किया जाना चाहिए, न कि अनुचित, सनकी या मनमाने तरीके से, जिससे भेदभाव की गुंजाइश बनी रहे...।"

17. इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने *सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन विरुद्ध ब्रोजो नाथ गांगुली*[10], *भारत संघ विरुद्ध तुलसीराम पटेल*[11], *डी.के. यादव विरुद्ध जे.एम.ए. इंडस्ट्रीज लिमिटेड*[12], *जसवंतसिंह मथुरासिंह विरुद्ध अहमदाबाद नगर निगम*[13], *सहारा इंडिया फर्म लखनऊ विरुद्ध केंद्रीय आयकर आयुक्त और अन्य*[14], *देवदत्त विरुद्ध भारत संघ*[15], *एयरलाइंस पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की संयुक्त कार्रवाई समिति और अन्य विरुद्ध महानिदेशक नागरिक उड्डयन*[16] के मामले में और स्पष्ट किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. प्रकरण के तथ्यों पर विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए, जिसमें याचिकाकर्ता को नियम 1999 के नियम 7 के तहत निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया का पालन किए बिना पंचायत सचिव के पद से हटा दिया गया था, दिनांक 13.05.2005 (अनुलग्नक A/7) और 29.11.2004 (अनुलग्नक A/5) के विवादित आदेशों को, जिन्हें दिनांक 18.02.2005 (अनुलग्नक A/8) के आदेश द्वारा पुष्टि की गई थी, रद्द किया जाता है। इसके फलस्वरूप, उत्तरवादीगण को, याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया जाता है। हालांकि,

---

[3] [10](1986) 3 SCC 156
[11](1985) 3 SCC 398
[12](1993) 3 SCC 259
[13](1992) Sup.1 SCC 5
[14](2008) 14 SCC 151
[15](2008) 8 SCC 725
[16](2011) 5 SCC 435

19. यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता पर लगे गंभीर आरोपों को ध्यान में रखते हुए वह पिछले वेतन का हकदार नहीं है, और याचिकाकर्ता ने भी इसे स्वीकार किया है। यदि उचित समझा जाए तो उत्तरवादी प्राधिकारियों को विधि के अनुसार उचित कदम उठाने की छूट है।

20. तदनुसार, याचिका को उपरोक्त सीमा तक स्वीकार किया जाता है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जाता है।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायमूर्ति

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By : Kamlesh Kumar Sahu